अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी बनाने के लिये दिये गये तम्बाकू पर उपकर के रूप में उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक
BEEDI WORKERS WELFARE FUND BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्तपोषण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुये व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT ADDRESS– Contd.

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, एलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूर्व की भांति लम्बी चर्चा की गई है । इस बार भाषणों में तर्क देने की चेष्टा की गई है । राष्ट्रपति ने बीस सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया है । वाद-विवाद में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने भी उक्त कार्यक्रम का उल्लेख किया है । श्री सेझियान ने इस प्रसंग में प्रश्न किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या बना ? बीस सूत्री कार्यक्रम पांचवीं योजना के स्थान में नहीं लाया गया और न ही इस कार्यक्रम का योजना से कोई विरोध है । इस कार्यक्रम को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए । सबसे पहले इसमें तात्कालिक और लम्बे समय से उपेक्षित कार्यों को लिया गया है । इसमें अत्यन्त पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध विशेष कार्यों को प्राथमिकता दी गई है तथा उन्हें लागू करने पर अधिक जोर दिया गया है । तत्पश्चात् सिंचाई और बिजली आदि के दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं । इसमें अपराधों जैसे काला धन, तस्कर व्यापार को भी शामिल किया गया है । यदि इस कार्यक्रम को प्रत्येक स्तर पर निष्ठा और चतुराई से लागू किया जाता है तो इससे हमारी जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा ।

इसमें सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के समय में वृहद् विकास कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया गया है। जिससे बढ़ती हुई मुद्रास्फीति घटनी शुरू हो गई है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। यह एक तथ्य है और क्रियात्मक आदर्श है।

सदस्यों ने पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब का उल्लेख किया है। यह कहना गलत है कि हमने पांचवीं योजना को छोड़ दिया है। ऊर्जा के आन्तरिक संसाधनों के विकास, उत्पादन में बाधाओं को हटाने, बिजली और परिवहन की कमियों को दूर करने की चेष्टा की जायेगी। वास्तव में योजना के इन उद्देश्यों ने गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में देरी इस कारण हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और अधिक दृढ़ हो जाए जिससे हम और अधिक विश्वास और सुनिश्चितता के साथ योजना बना सकें।

यह कहना गलत है कि वार्षिक योजनाएं अभ्यास मात्र हैं। वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना के ढांचे के अनुरूप ही तैयार की जाती हैं और वह योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हमने मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण कर लिया है जिसके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था। इस समय मूल्य गत वर्ष की तुलना में 7 तिशत कम है।

मुद्रास्फीति रोकने सम्बन्धी हमारे प्रयत्नों में मिली सफलता से नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और योजना के स्वरूप में सुधार हुआ है। 1975-76 में हमने योजना के परिव्यय में 25 प्रतिशत वृद्धि की है। हम इसमें अगले वर्ष और वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं।

राज्य-योजनाएं, जिनका सम्बन्ध अधिकतर सिंचाई, बिजली, कृषि और समाज सेवाओं से है, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उथल-पुथल होने के कारण अस्थिरता के दबावों की तुलना में कम संवेदनशील हैं। फिर भी तमिलनाडु राज्य योजना को क्रियान्वित करने में बहुत पीछे रहा है।

मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य ने भी अपना योजना परिव्यय पूरा कर लिया है जो प्रतिव्यक्ति, परिव्यय की दृष्टि से तमिलनाडु सरकार से अधिक ऊंचा है। श्री कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के काल में तमिलनाडु राज्य का प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय सर्वोच्च रहा है लेकिन आज वह सबसे कम है। गत छः वर्षों में यह राज्य इतना गिर गया है फिर भी राज्य सरकार जनता को गुमराह करने की चेष्ट कर रही है। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि केन्द्र उनके मार्ग में अड़चनें डाल रहा है। यदि इस राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम पहले से ही क्रियान्वित करने का दावा किया जाता है तो इससे इस भ्रान्ति की पुष्टि हो जाती है। लेकिन मेरे लिये 20 सूत्री कार्यक्रम की विशिष्टता और इसमें निहित भावना इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि जनता का कल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता भले ही उसने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली हो। निर्धनों और पिछड़े लोगों को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों की निरन्तर खोज करनी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये सतत प्रयत्न किये जाने चाहिए।

पिछले छः महीनों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। खेतिहर मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य में 8.3 प्रतिशत की कमी हुई है। खरीफ फसल में 27 लाख टन अनाज की प्राप्ति हुई है जबकि पिछले वर्ष केवल 14 लाख टन की प्राप्ति हुई थी। इन छः महीनों में सरकारी क्षेत्र का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 31.5 प्रतिशत अधिक है। बेगार प्रथा को समाप्त करने का कार्यक्रम सर्वविदित है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बारे में भी जानते हैं। सिंचाई

सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। गोदावरी नदी के जल के बारे में समझौता एक नया स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण कदम है। शहरी सम्पत्ति के मूल्यांकन का कार्यक्रम चालू हैं तथा तस्करों की सम्पत्ति जब्त की जा रही है।

प्रतिपक्षी दल के एक सदस्य ने पूछा हैं कि यदि किन्हीं व्यक्तियों पर देशद्रोह का आरोप है तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता ? हमने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और न ही उनकी देशभक्ति पर संदेह व्यक्त किया है। खतरा एक व्यक्ति विशेष की गतिविधियों से नहीं था अपितु देश के बाहर और भीतर विघटनकारी तत्वों के समूह से था। उनकी राजनीतिक चुनौती को राजनीतिक ढंग से तथा असंवैधानिक आन्दोलन को संवैधानिक ढंग से उखाड़ा गया है। प्रतिपक्षी दल अब कांग्रेस में फूट डालने में सफल नहीं हो सकते और न ही अफवाहों के फैलाने से कोई लाभ होगा। मैं अपने को सदा देश सेवक मानती रही हूं। भारत एवं विश्व की स्थिति के बारे में जो मूल्यांकन मैं करती रही हू वे सही उतरे हैं।

मैं कुमारी मणिबेन को श्रद्धापूर्वक सुनती रही हूं। किसी ने यह नहीं कहा अथवा सोचा कि आपातस्थिति सही समाधान है। हम अपनी कमजोरियों से अवगत हैं। मैं यह भी जानती हूं कि कुछ लोग हमारे कार्यक्रम का पूरा समर्थन नहीं करते फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा किसी भी नीति पर समझौता नहीं हुआ है। कुमारी मणिबेन ने लोगों द्वारा शराब पिये जाने का उल्लेख किया है। मुझे पता चला है कि गुजरात विधान सभा के चुनाव के दौरान टैंकर द्वारा शराब का वितरण किया गया था। कुमारी मणिबेन का हिंसा में विश्वास नहीं है परन्तु यह हिंसा में विश्वास रखने वालों का साथ क्यों देते हैं। एक उम्मीदवार को जिन्दा जला दिया गया। हिंसा की कई घटनाएं घटीं तथा तीन व्यक्तियों की हत्या हुई थी।

कुमारी मणिबेन ने श्रीमती गायत्री देवी तथा श्रीमती सिंधिया का उल्लेख भी किया है। इन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया था। कुमारी मणिबेन ने न्यायपूर्ण निर्वाचन की बात की है। गुजरात के चुनाव में एक सरकारी अधिकारी जनता मोर्चे के बाक्स में 24 मतपत्र डालते हुए पकड़ा गया था। कई हजार हरिजनों को मतदान करने के लिये जाने से रोका गया। और ईसाइयों की पूरी बस्ती को तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मत दिये थे। आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के बारे में कुमारी मणिबेन ने जो मेरे वक्तव्य का उद्धरण दिया है वह सही है। परन्तु बाद में जो घटनाएं घटीं अपवादजनक थीं तथा उनके लिये हमें अपवादजनक और असामान्य कार्यवाही करनी पड़ी। भिन्न-भिन्न विचारधारा रखने वाले राजनीतिज्ञ, जिनका नेतृत्व जनसंघ कर रहा था, किस प्रकार से राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकता है।

श्री त्रिदिब चौधरी इस सभा के सम्माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों तथा कतिपय परिस्थितियों से लाभ उठाया है। हमें बार-बार यह बताया जाता है कि कांग्रेस के इतने भारी बहुमत में प्रतिपक्ष के कुछ सदस्य क्या कार्यवाही कर सकते हैं ? जब प्रतिपक्ष के लोग कार्यवाही में बाधा डालते हैं तब हमारे दल के लोग भी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। उनका कहना है कि यदि आप उनको चुप नहीं करा सकते तो हमें ही क्यों चुप रहने को कहते हैं। विश्व में जहां कहीं भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपनी स्थिति बना पाई हैं वे अल्पमत में ही हैं। क्या श्री त्रिदिब चौधरी ने क्षण भर रुक कर भी सोचा है कि जो रात दिन आरोप हमारे ऊपर लगाये जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अभी कुछ समय पूर्व जब मैं आ रही थी तो मुझे बताया गया कि श्री विश्वनाथन पर एक राजनीतिक दल के लोग लाबी में धावा बोल रहे थे... (**व्यवधान**)।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यदि मेरे दल के लोगों ने ऐसी कार्यवाही की है तब अध्यक्ष महोदय इसकी जांच के लिये समिति नियुक्त करें ···· **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं विवाद में नहीं पड़ रही ···· **(व्यवधान)**

श्री जी० विश्वनाथन : यह सदन साक्षी है कि जब मैं बोल रहा था तब न केवल मुझे रोका गया अपितु तमिल भाषा में गालियां भी दी गईं। लाबी में उन्होंने मुझ पर हमला करने की चेष्टा की ····· **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं कह रही थी कि मैंने घटना देखी नहीं, सुनी थी। परन्तु मुझे पता है कि चुनौतियां खुले रूप से दी जाती हैं। परन्तु जब ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है तब हत्याएं हो जाती हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिये क्या किया है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि उनके भाषण समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाते। संसद में हम लोग सदस्य के रूप में बोलते है अथवा आम जनता के लिये?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोनों के लिये। हमें यहां जनता ने भेजा है। **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम यहां पर संसद में अपना दृष्टिकोण रखते हैं।

एकाधिकार और एकाधिकारियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह सही है कि हम लाइसेंस नीति में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। छोटे तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन उन चन्द लोगों को रोकने के लिये किये गये हैं जो नियंत्रण तथा अन्य नीतियों के बावजूद भी अपने लिये लाभ कमा रहे थे।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, यह आज एक विवादास्पद प्रश्न है। लेकिन यह सच है कि श्रमिकों को उतना बोनस नहीं मिलेगा जितना कि अन्य देशों में मिलता है। लेकिन मैं यह नहीं जानती हूं कि क्या यहां औद्योगिक श्रमिकों का वेतन विश्व के अन्य देशों से बहुत कम है। किन्तु यह भी सच है कि जहां किसी उद्योग या कारखाने में घाटा होता है और उसे बोनस की निर्धारित मात्रा में भुगतान करना पड़ता है तो वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है।

मैं जबरन छुट्टियों और छंटनी के बारे में सदस्यों की चिन्ता में सम्मिलित हूं। कल ही इस सम्बन्ध में घोषणा की गई है कि शीघ्र ही इस बारे में कानून आने वाला है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : आपातस्थिति से कोई लाभ नहीं हुआ। आंसुका के अंतर्गत एक भी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बारे में दो मत नहीं है।

मैं औद्योगिक श्रमिकों को बधाई देना चाहती हूं। उद्योग के सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। अभी हाल में मैं विशाखापत्तनम गई थी। अब गोदी कर्मचारी पहले की तुलना में तेजी से काम करते हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। मैं सशस्त्र सैनिकों की भी आभारी हूं जिन्होंने युद्ध में दृढ़ता और उत्साह दिखाया तथा शान्तिकाल में उत्साह से कार्य किया है।

उनमें प्रकाशित किये जाने वाले झूठे और बेबुनियाद समाचारों का विरोध करती हूं। कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कोई यह नहीं कहता कि प्रतिबन्ध लगा कर ठीक किया गया है। यदि आप भय तथा निराशा फैलाते हैं तो यह बात महत्त्व रखती है। इसके विरुद्ध इंग्लैंड में गत विश्व युद्ध के दौरान अथवा बाद में कानून था। अतः हमारे देश के लिए यह एक गम्भीर बात है। हम सब जानते हैं कि भारत में घटित घटनाओं के प्रति क्या रवैया अपनाया गया, सूखे की स्थिति, शरणार्थी समस्या, बंगला देश युद्ध या किसी आन्तरिक अथवा बाह्य समस्या के प्रति क्या रुख अपनाया गया।

आपातस्थिति के बारे में बोलते हुए कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि हम ने ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसका भविष्य में तानाशाह लोग लाभ उठायेंगे। क्या यही बात हमारे परमाणु परीक्षण के बारे में भी नहीं कही गई थी। क्या कोई विश्वास करेगा कि लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाले और परमाणु शक्ति का सैनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में विश्वास रखने वाले भारत या कांग्रेस से कुछ करने की आशा लगाये हुए थे? क्या उन देशों ने अपनी जनता की राय और विदेशी राय की परवाह किये बिना ऐसा कार्य नहीं किया और भविष्य में नहीं करेंगे?' इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कोई भी नहीं कहता कि ऐसा करना अच्छा है। इसके साथ साथ बहुत से सदस्यों ने कहा है कि उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये। दुर्भाग्यवश हम इस सिद्धान्त से दूर भागते रहे। हमें इस भावना को पुनः लाना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में विदेश मंत्री ने विस्तार से उल्लेख किया है। मैं सभी देशों के साथ मित्रता के लिए निष्ठापूर्वक तथा लगातार प्रयत्न करने की हमारी इच्छा पर जोर देना चाहती हूं। हम सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हम सहमत नहीं है। परन्तु किसी भी देश को विश्व से मिटाया नहीं जा सकता।

मैं कहना चाहती हूं कि भारत जितना शक्तिशाली होता गया उसकी उतनी अधिक निन्दा करने का प्रयास किया गया। हमारे लिए अपनी सतर्कता में कमी करने का समय नहीं है। हम भले ही सदैव अमरीका से सहमत न रहे लेकिन हम जानते हैं कि यह एक गतिशील राष्ट्र है, वहां के लोग गतिशील हैं जो सदैव नई विचारधारा को जन्म देते हैं चाहे यह शिक्षा, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ही क्यों न हो। मैं उन्हें उनकी द्विशताब्दी पर बधाई देना चाहती हूं।

श्री मनोहरन ने हिन्दी के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। इस प्रश्न पर यहां कई बार चर्चा की जा चुकी है। मैं अपने आश्वासन को दोहराना चाहती हूं कि हिन्दी को उन लोगों पर नहीं थोपा जायेगा जो उसे नहीं चाहते हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं कि सभी भारत वासियों को किसी एक भारतीय भाषा का कम से कम काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिये ताकि हमें आपस में अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप न करना पड़े। देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। हमारे देश की सभी भाषाएं प्राचीन हैं। हम इनके विकास हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। हम हिन्दी को दूसरों पर थोपना नहीं चाहते।

श्री पटेल ने इस बात का उल्लेख किया है कि संविधान का कोई मसौदा परिचालित किया गया है जिसका मैंने कल उत्तर दिया था। बहुत से व्यक्तियों ने सुझाव, नोट, पत्र, तार आदि भेजे हैं। मैंने कहा है कि जो भी सुझाव आये हैं उन पर पूरी तरह विचार किया जाये। हम मात्र परिवर्तन

के लिए परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। दूसरी ओर यदि परिवर्तन आवश्यक है तो हमें उस हिचकना नहीं चाहिये परन्तु यह परिवर्तन उन लोगों के लिए न्यायोचित और उचित होना चाहिये जिन्हें अपने देश से वंचित रखा जा रहा है। यह परिवर्तन किसी पार्टी अथवा वैयक्तिक शक्ति के लिए नहीं होना चाहिये। हमें मानव जीवन तथा कल्याण और मानव स्वतन्त्रता के महत्व को ध्यान में रखना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने चुनावों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। चुनावों को छोड़ा नहीं जा रहा है। परन्तु चुनाव लोकतंत्र या जीवन का आदि और अन्त नहीं हैं। हमें इससे आगे देखना है। हमें देश की भलाई, आक्रमण अथवा दमन के विरुद्ध उसकी एकता तथा क्षमता अधिक उत्पादन करने तथा उत्पादन को निष्पक्ष रूप से बांटने की क्षमता की ओर भी देखना है। इन सब पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम विश्व के सामने केवल यह सिद्ध करने के लिए कि हम कितने बड़े लोक तांत्रिक हैं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दे सकते जिसमें ये सब बातें नकारा जायें।

गोल-मेंल वार्ता का भी उल्लेख किया गया है। मेरा रुख कभी भी कड़ा नहीं रहा। आज के एक समाचार पत्र के शीर्षक में यह छपा है कि "मैं वार्ता नहीं करना चाहती।" मैंने कभी ऐसा नहीं माना कि कोई बात नहीं होनी चाहिये। मैंने आज अन्याय और उन बातों को अस्वीकार किया है जो देश की जनता और शक्ति के विरोध में जाती है। इसके विपरीत मैंने सदैव समझौते का तरीका ढूंढने का प्रयास किया है। हमारा यह प्रयास हमें संकट में लेड़वा क्योंकि विरोधी पक्ष ने इसे हमारी कमजोरी समझा और इससे लाभ उठाने की कोशिश की। हम ने सदैव अपनी इच्छा व्यक्त की है। यह कर्तव्य विपक्ष का है कि वह रुकावट और हिंसा का मार्ग छोड़ कर बार्ता का वातावरण बनाये।

हमारा उद्देश्य मजदूरों तथा किसानों की हालत सुधारना, शहरी लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। जहां एक ओर सरकार अथवा सत्तारूढ दल का यह कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और एकत्र होने की स्वतन्त्रता दे तथा प्रतिपक्ष को विधि पूर्ण कार्य करने दे वहां दूसरी ओर प्रतिपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह सरकार को विधिपूर्ण ढंग से कार्य करने दे। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में भी सोचना चाहिये। लोकतंत्र एकतरफ़ा बात नहीं हो सकती। यह तभी चल सकता है जब सभी वर्ग इसमें सहयोग दें तथा अपनी स्वतंत्रता पर उस सीमा तक अंकुश लगाने के लिए तैयार हों जिस सीमा तक उनकी स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता का हनन न करती है।

भारत माता उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के बोझ से दबी हुई है। वह न केवल गरीबी तथा बिमारियों से ग्रस्त है अपितु मानसिक जटिलताओं तथा विचारधाराओं, पुरानी आदतों, संकीर्ण विचारधारा, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, प्रान्तवाद की भावनाओं से भी पीड़ित है। आशा और विश्वास पैदा करना हमारा कर्तव्य है। यदि आप यह सोचें कि देश का कोई भविष्य नहीं तो आप उसके भविष्य के लिए करेंगे क्या। जब आशा तथा विश्वास होगा तभी आप बलिदान कर सकेंगे। भारतमाता का सिर ऊंचा हो इसके लिए हम विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों का सहयोग चाहेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हुं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किये गये। 117 संशोधन सभा के समक्ष हैं। क्या मैं उन्हें इक्ट्ठा सभा के मतदान के लिये रखूं ?